

**CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA FOR THE YEARS
2003-2006.**

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Korea (hereinafter called both sides) have agreed upon the 2003-2006 Cultural Exchange Programme for implementation of the Cultural Agreement concluded between the Governments of the two countries on July 2, 1976 as follows:

1 ART & CULTURE

Article 1.1

Both sides shall exchange the visits of three-member government cultural delegations.

Article 1.2

Both sides shall exchange 2-3 experts in the field of art and culture.

Article 1.3

Both sides shall participate in international art festivals to be held in the other country. The Indian side shall send an art group to the "April Spring Friendship and Art Festival" to be held in Pyongyang every year.

Article 1.4

Both sides shall organize a photo, book and handicraft exhibition in the other country. Details shall be settled through mutual consultations.

Article 1.5

Both sides shall facilitate the exchange of publications, books, catalogues and other necessary materials of mutual interest between museums of the two countries.

Article 1.6

Both sides shall actively help friendship organisations to successfully hold friendship and cultural functions on the important occasions of the two countries.

II. PUBLIC HEALTH

Article 2.1

Both sides shall facilitate access to exchange of information on research and development work on medical plants/pharmacopoeia standards of drugs (single and compound) and testing methodologies.

Article 2.2

Both sides shall facilitate continuous consultation between the concerned authorities of the two countries on issues relating to the standard testing of drug quality, registration of plant based, indigenous medicines, food supplements and cosmetics to exchange materials about safety and reliability of such products.

Article 2.3

Both sides shall collaborate in research in Traditional medicine and medical Plants and exchange information available or to be generated as collaborated efforts.

Article 2.4

Both sides can provide traditional systems of medicine and cure methods of their own countries by the other's initiative and shall cooperate in evaluating their efficiency.

Article 2.5

Both sides shall simplify procedure for permitting the export of Traditional System of Medicine drugs/treatment.

Article 2.6

India shall offer short exposure services on Indian Systems of Medicine and Homeopathy to DPRK to build awareness about these systems.

III. YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

Article 3.1

Both sides shall share the experiences in the field of sports and explore the possibilities of exchanging sports teams/coaches in diverse disciplines. Details shall be decided through mutual consultations.

IV. MASS- MEDIA

Article 4.1

Both sides shall cooperate to organize commemorative broadcasting services on the occasion of national and other important commemorative days of the two countries.

Article 4.2

Both sides shall support the exchange of materials on history, culture, nature and customs of the two countries for radio and TV broadcasting.

Article 4.3

Both sides share experiences gained in the field of broadcasting services of the two countries and assist to exchange broadcasting delegations for the promotion of friendly relations.

Article 4.4

Both sides shall exchange two journalists including those who are engaged in dissemination of information.

Article 4.5

Both sides shall organize a film show week in the other country and exchange 2-3 person film delegations.

Article 4.6

Both sides shall present films to international film festivals to be held in the other country and send film delegations.

V. GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS

Article 5.1

Both sides can exchange, if necessary, delegations not included in this Programme, by mutual agreement.

Article 5.2

The delegation's period of stay shall be decided by mutual consultations 40 days prior to the exchange.

Article 5.3

The sending side shall inform the receiving side of the composition of the delegation and the materials needed for receiving it, four weeks prior to its departure.

Article 5.4

The International airfare of the individuals/delegation's shall be borne by the sending side. The receiving side shall bear the expenses (lodging and Boarding, local travel within the country and emergency medical treatment) for their stay in its country

Article 5.5

The expenses for posting exhibits to be exchanged under this programme shall be borne by the sending side and the receiving side shall bear the expenses for the exhibition, rent of place for exhibition, advertisement, local transport costs for exhibits.

Signed and done at New Delhi on 18th September, 2003, corresponding to 27th Bhadrapada, 1925 (SAKA) in six originals two each in Hindi, Korean and English languages, all the texts being equally authentic in case of any divergence, the English text shall prevail.



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC PEOPLE'S
REPUBLIC OF KOREA**

**भारत गणराज्य की सरकार तथा
जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की सरकार के बीच वर्ष 2003-06 के लिए
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम**

भारत गणराज्य की सरकार तथा जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की सरकार (जिन्हें आगे दोनों पक्ष कहा गया है) 2 जुलाई, 1976 को दोनों देशों की सरकारों के बीच किए गए सांस्कृतिक करार के कार्यान्वयन के लिए 2003-2006 के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर निम्न प्रकार सहमत हैं:

I. कला और संस्कृति

अनुच्छेद 1.1

दोनों पक्ष तीन सदस्यीय सरकारी सांस्कृतिक शिष्टमंडलों के दौरों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 1.2

दोनों पक्ष कला और संस्कृति के क्षेत्र में दो-तीन विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 1.3

दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सवों में भाग लेंगे। भारतीय पक्ष प्रत्येक वर्ष प्योंगयांग में आयोजित किए जाने वाले “अप्रैल वसंत मैत्री एवं कला महोत्सव” में एक कला समूह भेजेगा।

अनुच्छेद 1.4

दोनों पक्ष एक-दूसरे के देश में फोटो, पुस्तक तथा हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। इसके ब्यौरे परस्पर परामर्श से तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद 1.5

दोनों पक्ष दोनों देशों के संग्रहालयों के बीच परस्पर रुचि के प्रकाशनों, पुस्तकों, तालिकाओं तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों के आदान-प्रदान में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 1.6

दोनों पक्ष दोनों देशों के महत्वपूर्ण अवसरों पर मैत्री और सांस्कृतिक समारोहों के सफल आयोजन के लिए मैत्री संगठनों की सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।

II. जन स्वास्थ्य

अनुच्छेद 2.1

दोनों पक्ष चिकित्सा संयंत्रों/औषधियों के औषध कोश मानकों (एकल और मिश्रित) तथा जांच के तरीकों पर अनुसंधान और विकास कार्य के बारे में सूचना के आदान-प्रदान तक पहुंच में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 2.2

दोनों पक्ष औषध गुणवत्ता के मानक परीक्षण, संयंत्र आधारित, स्वदेशी औषधियां, खाद्य संपूरकों और अंगरागों के पंजीकरण से संबंधित मुद्दों पर ऐसे उत्पादों की सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में सामग्री के आदान-प्रदान हेतु दोनों देशों के संबंधित प्राधिकारियों के बीच निरंतर परामर्श में सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 2.3

दोनों पक्ष पारंपरिक औषधियों और चिकित्सा संयंत्रों में अनुसंधान में सहयोग करेंगे और उपलब्ध जानकारी या सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 2.4

दोनों पक्ष एक-दूसरे की पहल से अपने-अपने देशों की औषधियों की पारंपरिक पद्धतियाँ और उपचार के तरीके उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी गुणता के मूल्यांकन में सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 2.5

दोनों पक्ष पारंपरिक औषधि पद्धति/उपचार के निर्यात की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे।

अनुच्छेद 2.6

भारत, भारतीय औषधि पद्धतियों और होम्योपैथी के बारे में जनवादी जन गणतंत्र कोरिया की सरकार को इन पद्धतियों के बारे में अल्पकालिक प्रदर्शन सेवाओं की पेशकश करेगा ताकि इन पद्धतियों के बारे में जागरूकता का निर्माण हो सके।

III. युवा मामले एवं खेल

अनुच्छेद 3.1

दोनों पक्ष खेल के क्षेत्र में अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे तथा विविध क्षेत्रों में खेल टीमों/कोचों के आदान-प्रदान की संभावनाओं की तलाश करेंगे। इनके ब्यौरे पारस्परिक परामर्श से तय किए जाएंगे।

IV. जनसंचार माध्यम

अनुच्छेद 4.1

दोनों पक्ष दोनों देशों के राष्ट्रीय एवं अन्य महत्वपूर्ण स्मारक दिवसों के अवसर पर स्मारक प्रसारण सेवाओं का आयोजन करने के लिए सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद 4.2

दोनों पक्ष रेडियो और टीवी प्रसारण के लिए दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और रीति-रिवाजों पर सामग्रियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 4.3

दोनों पक्ष दोनों देशों की प्रसारण सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त हुए अनुभवों का आदान-प्रदान करेंगे तथा मित्रवत संबंधों के संवर्धन के लिए प्रसारण शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान के लिए सहायता देंगे।

अनुच्छेद 4.4

दोनों पक्ष सूचना के प्रसार में लगे पत्रकारों सहित दो पत्रकारों का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 4.5

दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में एक फिल्म प्रदर्शन सप्ताह आयोजित करेंगे तथा 2-3 व्यक्तियों के फिल्म शिष्टमंडल का आदान-प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद 4.6

दोनों पक्ष, एक दूसरे के देश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों के लिए फिल्में प्रस्तुत करेंगे और फिल्म शिष्टमंडल भेजेंगे।

V. सामान्य और वित्तीय प्रावधान

अनुच्छेद 5.1

दोनों पक्ष, यदि आवश्यक हो, तो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए शिष्टमंडलों का परस्पर सहमति से आदान-प्रदान कर सकते हैं।

अनुच्छेद 5.2

शिष्टमंडल के ठहरने की अवधि का निर्णय आदान-प्रदान से 40 दिन पूर्व परस्पर परामर्श से किया जाएगा।

अनुच्छेद 5.3

प्रेषक पक्ष शिष्टमंडल के प्रस्थान के चार सप्ताह पूर्व शिष्टमंडल की संरचना और इसका स्वागत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूचना मेजबान पक्ष को देगा।

अनुच्छेद 5.4

व्यक्तियों/शिष्टमंडलों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का किराया प्रेषक पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा। मेजबान पक्ष अपने देश में उनके ठहरने (आवास और भोजन-व्यवस्था, देश के भीतर स्थानीय यात्रा और आपातकालीन चिकित्सा उपचार) का व्यय वहन करेगा।

अनुच्छेद 5.5

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदान-प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शों को भेजने का व्यय प्रेषक पक्ष वहन करेगा और मेजबान पक्ष प्रदर्शनी, प्रदर्शनी के लिए स्थान का किराया; विज्ञापन, प्रदर्शों के स्थानीय परिवहन की लागत का व्यय वहन करेगा।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में 18 सितम्बर, 2003 को छः मूल प्रतियों, हिन्दी, कोरियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो, पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



भारत गणराज्य

की सरकार

की ओर से



जनवादी जन गणतंत्र कोरिया

की सरकार

की ओर से